न्यायालय राजस्व मंडल केंद्र ग्वालियर कैंप उज्जैन म.प्र.

प्र.क. /13 निग.

R-874-PBR/13

कुमारी किरण नुनेजा अभिभाषक द्वारा कैम्प उज्जैन पर प्रस्तुत 28/2/13

4/3/13

दशरथसिंह पिता अजीतसिंह आयु–70 वर्ष
नि– ग्राम नरवर तह. जिला उज्जैन
म.प्र..................................आवेदक

विरूद्ध

1– सलीम पिता अब्बास आयु– वर्ष व्यव–ईंट बनाना नि–ग्राम नरवर तह. जिला उज्जैन म.प्र

2– दिग्विजयसिंहपिता स्व. रणजीतसिंह आयु–57 व्यव–कृषि नि–ग्राम नरवर तह. जिला उज्जैन
........अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं.

माननीय महोदय,

आवेदक अधिनस्थ योग्य न्यायालय अपर तहसीलदार महोदय उज्जैन के प्रकरण क 1/अ–13/11–12 में पारित आदेश दिनांक 04/02/13 के विरूद्ध निम्न कारणों के आधार पर निगरानी प्रस्तुत करता है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि आवेदक द्वारा अनावेदक गुडडुलाल उर्फ दिग्विजयसिंह के विरुद्ध धारा 131 भू.रां.सं. का प्रकरण प्रस्तुत किया जिसमे स्वयं की भूमि सर्वे क्रं 712 , 1324 ,1326,1319/1,1395/2 ,1396 पर जाने के लिए रुढिगत मार्ग 1322,1390,1479,1323 व 1398 तथा 1397 की मेड से होना बताया और उसे अनावेदक दिगिविजयसिंह द्वारा अवरुद्ध करने का उल्लेख किया ।

2– यह कि उक्त वाद में प्रार्थी को पक्षकार नही बनाया गया जबकि भूमि सर्वे क्रं 1391 प्रार्थी की भूमि है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण की पीठ पीछे प्रार्थी की खडी फसल को नजरअंदाज कर रास्ता खुलवाने का आदेश दिया जिससे व्यथित होकर यह पुनरीक्षण आवेदन अंदर अवधि प्रस्तुत है:–

निगरानी के आधार

1– यह कि अधिनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि एंव विधान के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है।

2– यह कि आवेदक ने अधिनस्थ योग्य न्यायालय के समक्ष उपरोक्त वांछित मार्ग में आने एंव अधिनस्थ न्यायालय ने बिना राजस्व अभिलेख देखे आवेदक को अन्य कृषको की भूमि में से मार्ग उपलब्ध कराने का आदेश दिया है उक्त तथ्य

238

XXIX(a)-BR(H)-11

338

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-874-पीबीआर/13 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रताप मेहता उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	